न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम लाल मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –82/2025

उनवान

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
चनणी देवी पत्नी अमरा राम जाति जाट निवासी रामसर आगोर तहसील रामसर जिला बाड़मेर		1. पार्वती देवी पत्नी डालूराम 2. कलाराम पुत्र गंगाराम 3. पदमाराम पुत्र चेतनराम जातियान जाट निवासीयान रामसर आगौर तहसील रामसर जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार रामसर

उपस्थिति :– 1. वादीनी अधिवक्ता श्री कंवराज बेनीवाल।
2. प्रतिवादी संख्या 03 के अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार।
3. राज पेरोकार।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :–18.05.2026

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा रामसर आगौर पटवार मण्डल बबुगुलेरिया भूअनि रामसर तहसील रामसर के खसरा संख्या 159 रकबा 14.1316 हेक्टैयर भूमि वादीनी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है जिसमें समस्त खातेदारान के खातेदारी हिस्से खुले हुये है तथा मौखिक बंटवाड़ा अनुसार उभय पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त के काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी में उभयपक्षकारान के मौके पर किये गये बाहामी विभाजन एवं कब्जा काश्त अनुसार बाई मीन्ट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करने हेतु यह वाद दिनांक 14.11.2025 को जरिये अधिवक्ता श्री कंवराज बेनीवाल द्वारा इस न्यायालय में पेश किया।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार उपस्थित हुए लेकिन न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 के अधिवक्ता को कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बाद तामिल आदिनांक उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर दिनांक 18.02.2026 को प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर जारी की गई कि ग्राम रामसर आगौर पटवार हल्का बबुगुलेरिया भूअनि रामसर तहसील रामसर जिला बाड़मेर में स्थित खेत खसरा नंबर 159 रकबा 14.1316 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि में वादिनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक बाहामी विभाजन एवं कब्जा काश्त अनुसार बाई मिन्ट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार रामसर से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया जो तहसीलदार रामसर के पत्रांक भू.अ./2026/1290 दिनांक 06.05.2026 द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 07.05.2026 को प्राप्त हुआ जिसे रेकर्ड पर लेकर शामिल मिशल किया गया। तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	कलाराम पुत्र गंगाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	159	4.6026 हैक्टेयर	बा.सो.	0.13	गुलाबी
		01	4.6026 हैक्टेयर	–	0.13	–
2	पदमाराम पुत्र चेतनराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	159 159	4.2790 हैक्टेयर 0.3237 हैक्टेयर	बा.सो. बा.सो.	0.12 0.02	हरा
		02	4.6027 हैक्टेयर	–	0.14	–

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner

	देवी पत्नी डालूराम जाति जाट सा. देह खातेदार	159	2.3013 हैक्टेयर	बा.सो.	0.07	काला
		01	2.3013 हैक्टेयर	–	0.07	–
	चनणीदेवी पत्नी अमराराम जाति जाट सा. देह खातेदार	159	2.3013 हैक्टेयर	बा.सो.	0.07	नीला
		01	2.3013 हैक्टेयर	–	0.07	–
5	कलाराम पुत्र गंगाराम 1/3 चनणीदेवी पत्नी अमराराम 1/6 पार्वतीदेवी पत्नी डालूराम 1/6 पदमाराम पुत्र चेतनराम 1/3 जातियान जाट सा. देह खातेदार	159	0.3237 हैक्टेयर	बा.सो.	0.01	गेरूआ
		01	0.3237 हैक्टेयर	–	0.01	–

उक्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादिनी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 के अधिवक्ता द्वारा भी विभाजन प्रस्ताव अनुसार निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी करने में अपनी ओर सहमति जाहिर की लिहाजा उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी करने में इस न्यायालय को कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। निर्णय एवं अंतिम डिक्री इस अनुसार सादिर दी जाती है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	कलाराम पुत्र गंगाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	159	4.6026 हैक्टेयर	बा.सो.	0.13	गुलाबी
		01	4.6026 हैक्टेयर	–	0.13	–
2	पदमाराम पुत्र चेतनराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	159 159	4.2790 हैक्टेयर 0.3237 हैक्टेयर	बा.सो. बा.सो.	0.12 0.02	हरा
		02	4.6027 हैक्टेयर	–	0.14	–
3	पार्वतीदेवी पत्नी डालूराम जाति जाट सा. देह खातेदार	159	2.3013 हैक्टेयर	बा.सो.	0.07	काला
		01	2.3013 हैक्टेयर	–	0.07	–
4	चनणीदेवी पत्नी अमराराम जाति जाट सा. देह खातेदार	159	2.3013 हैक्टेयर	बा.सो.	0.07	नीला
		01	2.3013 हैक्टेयर	–	0.07	–
5	कलाराम पुत्र गंगाराम 1/3 चनणीदेवी पत्नी अमराराम 1/6 पार्वतीदेवी पत्नी डालूराम 1/6 पदमाराम पुत्र चेतनराम 1/3 जातियान जाट सा. देह खातेदार	159	0.3237 हैक्टेयर	बा.सो.	0.01	गेरूआ
		01	0.3237 हैक्टेयर	–	0.01	–

तहसीलदार रामसर को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा बैंक रहन इत्यादि इस निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया व मुहर अदालत के जारी किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार एवं नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर रामसर (बाड़मेर)

(राम लाल मीणा RAS)
सहायक कलक्टर
रामसर (जिला बाड़मेर)
सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner

ालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रामसर

(पीठासीन अधिकारी श्री राम लाल मीणा, RAS)

वाद संख्या – 82/2025 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
चनणी देवी पत्नी अमरा राम जाति जाट निवासी रामसर आगोर तहसील रामसर जिला बाड़मेर		1. पार्वती देवी पत्नी डालूराम 2. कलाराम पुत्र गंगाराम 3. पदमाराम पुत्र चेतनराम जातियान जाट निवासीयान रामसर आगौर तहसील रामसर जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार रामसर

उपस्थिति :– 1. वादीनी अधिवक्ता श्री कंवराज बेनीवाल।
2. प्रतिवादी संख्या 03 के अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार।
3. राज पेरोकार

–:: अंतिम डिक्री पर्चा ::–

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीनी की ओर से अधिवक्ता श्री कंवराज बेनीवाल, प्रतिवादी संख्या 03 के अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार व राज पेरोकार की उपस्थिति में आज तारीख 18.05.2026 को सहायक कलक्टर (एस. डी.ओ.) रामसर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि :–

माफिक विभाजन प्रस्ताव वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा रामसर आगौर पटवार मण्डल बबुगुलेरिया तहसील रामसर के खसरा नंबर 159 रकबा 14.1316 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक् खातेदारी में घोषित की जाती है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	कलाराम पुत्र गंगाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	159	4.6026 हैक्टेयर	बा.सो.	0.13	गुलाबी
		01	4.6026 हैक्टेयर	–	0.13	–
2	पदमाराम पुत्र चेतनराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	159	4.2790 हैक्टेयर	बा.सो.	0.12	हरा
		159	0.3237 हैक्टेयर	बा.सो.	0.02	
		02	4.6027 हैक्टेयर	–	0.14	–
3	पार्वतीदेवी पत्नी डालूराम जाति जाट सा. देह खातेदार	159	2.3013 हैक्टेयर	बा.सो.	0.07	काला
		01	2.3013 हैक्टेयर	–	0.07	–
4	चनणीदेवी पत्नी अमराराम जाति जाट सा. देह खातेदार	159	2.3013 हैक्टेयर	बा.सो.	0.07	नीला
		01	2.3013 हैक्टेयर	–	0.07	–
5	कलाराम पुत्र गंगाराम 1/3 चनणीदेवी पत्नी अमराराम 1/6 पार्वतीदेवी पत्नी डालूराम 1/6 पदमाराम पुत्र चेतनराम 1/3 जातियान जाट सा. देह खातेदार	159	0.3237 हैक्टेयर	बा.सो.	0.01	गेरूआ
		01	0.3237 हैक्टेयर	–	0.01	–

तहसीलदार रामसर को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा बैंक रहन इत्यादि इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर
सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

अंतिम डिक्री आज दिनांक 18.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर
सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner